

कार्यालय संचालक
संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@gov.in, website- www.fcs.cg.gov.in)

क्रमांक 29 / खाद्य-वि.स. / 2026
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 13/02/2026

प्रबंध संचालक,
मंडी बोर्ड, मुख्यालय
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय:— विधानसभा प्रश्न क्रमांक 889 अतारांकित द्वारा श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य
विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

:::00:::

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 889 अतारांकित की
प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी
भी 'यूनिकोड फॉन्ट' में) तत्काल ई-मेल (dirfood.cg@nic.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट
कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार

4-13/2/26
अपर संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर
संचालनालय, नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 27/02/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 09/03/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण
विषय : खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी और भुगतान में विसंगतियां ।

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 889) श्रीमती भावना बोहरा

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) 15 नवंबर 2025 से राज्य में शुरू हुई धान खरीदी नीति के तहत, कुल कितना मीट्रिक टन धान खरीदा गया है और 3,100 प्रति क्विंटल की दर से कितने किसानों के खाते में एकमुश्त राशि का अंतरण किया जा चुका है? जिलेवार जानकारी दें। (ख) डिजिटल क्रॉप सर्वे और ई-केवाईसी (e-KYC) सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण कितने किसान अपना पंजीकरण नहीं करा पाए हैं या उन्हें टोकन मिलने में विलंब हुआ है? (ग) राज्य सरकार द्वारा सीमावर्ती राज्यों से आने वाले अवैध धान को रोकने के लिए सीमा पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या विभाग उन बिचौलियों की सूची पटल पर रखेगा जिनके विरुद्ध मंडी अधिनियम के तहत पिछले 2 महीनों में कार्यवाही की गई है?

Sent From : vidhan | Sent Date : 11/02/2026 11:14:04 |

Remark :